न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2089 / 04 / भरतपुर

1– श्रीमती रामो बेवा रामस्वरूप
2– पूरण) पुत्रगण रामस्वरूप निवासी
3– वकील) भोपर तहसील वैर जिला
4– रामेश्वर) भरतपुर।
5– श्रीमती धर्मा पुत्री रामस्वरूप पत्नी बद्री निवासी भगोरा।
6– भवलू पुत्री रामस्वरूप पत्नी श्री कल्ला निवासी इटामडा।
7– लज्जा पुत्री रामस्वरूप पत्नी हरीकिशन निवासी इहगांव तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– हरीराम) पुत्रगण कल्ला जाति धाकड निवासी भोपर
2– नानगा) तहसील वैर जिला भरतपुर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसील वैर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 25 जुलाई, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–338/01 अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक हरीराम आदि बनाम राजस्थान सरकार को आंशिक रूप

से स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–7–2001 को निरस्त कर विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–101 रकबा 1.08 बीघा भूमि में वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 को खातेदार घोषित शेष 1/2 हिस्से का इन्द्राज यथावत रखा है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने एक दावा संख्या–412/88 शीर्षक हरीराम आदि बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा–88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय सहायक कलेक्टर, वैर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील वैर के ग्राम भोपर के खसरा नम्बर–101 रकबा 1.08 बीघा भूमि (जिसे निर्णय में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है) राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चाह दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि के मालिक वादीगण के पूर्वज बतौर खुद काश्त थे तथा लगातार विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिये दावा स्वीकार कर वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्टस को खातेदार घोषित किया जावे। दावा के जैरकार रहते वर्तमान अपीलान्टस के पति / पिता रामस्वरूप ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्से का क्रय उसके द्वारा पिता वल्द मोती से दिनांक 12–6–1958 को किया गया है। इसलिये दावा में उसे पक्षकार बनाया जावेघ। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–3–2000 के द्वारा रामस्वरूप को प्रतिवादी संख्या–2 बनाया है। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या–2 रामस्वरूप ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर चार तनकी बनाई गयी। तनकी नम्बर–1 ता 3 वादी को साबित करनी थी तथा तनकी नम्बर–4 प्रतिवादी को साबित करनी थी। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि दावा मूल रूप से केवल राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–7–2001 के द्वारा तनकी नम्बर–1 ता 3 का निर्णय वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के विरूद्ध तथा तनकी नम्बर–4 का निर्णय प्रतिवादी संख्या–2 / वर्तमान अपीलान्टसके विरूद्ध किया तथा दावा खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर, वैर के निर्णय एवं डिक्री दिनाक 31–7–2001 के विरूद्ध वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने प्रथम अपील संख्या–338/01 शीर्षक हरीराम आदि बनाम राजस्थान सरकार, न्याया भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–5–2004 के द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक31–1–2001 निरस्त कर दिया तथा विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को घोषित कर शेष 1/2 हिस्से को यथावत रखा। विद्वान भू

अपील डिक्री / टी.ए. / 2089 / 04 / भरतपुर
श्रीमती रामो व अन्य बनाम हरीराम व अन्य

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–5–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विवादग्रस्त भूमि पर मन्दिर स्थापित है। यह भूमि गैर मुमकिन चाह है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–5–2004 निरस्त किया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद जमाबन्दी संवत 2012 में विवादग्रस्त भूमि पिता वल्द मोती तथा केला वल्द चुरा के नाम से दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15–10–1955 को प्रभावशील हुआ। उस दिन वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के पिता बतौर Tenent अंकित थे, जो स्वतः ही खातेदार अंकित हो गये। इसी आधार पर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–5–2004 पारित की है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय जमाबन्दी संवत 2001 से 2012 के आधार पर पारित किया गया है। जमाबन्दी संवत 2001 से 2012 का अवलोकन किया गया। यह जमाबन्दी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु यह जमाबन्दी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रदर्शित नहीं की गयी है और ना ही इस जमाबन्दी का साक्ष्य में कहीं उल्लेख किया गया है। इस जमाबन्दी के कालम नम्बर–4 में पिता वल्द मोती, केला वल्द चुरा बतौर भूमि अधिकारी (जगीरदार, उप जगीरदार और मालगुजार बिस्वेदार या जमींदार) विवरण सहित कालम

संख्या–4 में अंकित किया गया है तथा कालम नम्बर–5 नाम कृषक में मकबूज मालकाना अंकित है तथा विवादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज है। मकबूजा मालकाना भूमि अधिकारी की खुदकाश्त भूमि नहीं होकर सरकार की भूमि है। गिरदावरी संवत 2013 से 2016 Exp-1 में भी उपरोक्तानुसार इन्द्राजात है। जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 Exp-3 में यह भूमि पानी के नीचे डूबे हुये चाहात व झेरा के रूप में अंकित है। गिरदावरी जिस पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने प्रथम तो बिना प्रदर्श किये दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2004 पारित किया है तथा जमाबन्दी संवत 201 से 2012 भी वादी / रेस्पोन्डेन्ट की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करते हैं। इसमें 201 के बाद अंकन से हाथ से लिखना भूल गया है, किन्तु 2012 का अंकन स्पष्ट है। यहां 201 मुद्रित के बाद हाथ से 2 अंकित होकर 2012 है। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–5–2004 विधि के प्रावधान के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–5–2004 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर, वैर का निर्णय बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य

अपील डिक्री / टी.ए. / 2089 / 04 / भरतपुर
श्रीमती रामो व अन्य बनाम हरीराम व अन्य